राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

अपील संख्या 71 / 2020

अनवान् मुकदमा

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

श्री गोपीराम अग्रवाल
R.T.I. रिसर्च सेन्टर
बॉसवाडा

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

निर्णय

दिनांक **21.01.2021**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द उपस्थित।
3. मैने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के प्रथम अपील दिनांक 21.09.2020 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द सेऊवा अभिलेख से संबंधित सूचना चाही गई थी। सूचना नही मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील पेश की गई हैं।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी द्वारा निर्धारित राशि 08/– रूपये जमा कराने पर उपलब्ध करवा दी जावेगी। जिसके लिए अपीलार्थी को पत्र डाक से प्रेषित किया जा चुका हैं।
6. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक प.1( )सू.अ., 05/2020/1101–02 दिनांक 28.12.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार वांछित सूचना निर्धारित राशि 08/– रूपये जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को उनके कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक प.1( )सू.अ., 05/2020/893 दिनांक 27.10.2020 से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया।
7. अपीलार्थी ना ही पेशी पर उपस्थित हुआ और ना ही कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित राशि जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त अपील खारिज किया जाना समीचीन हैं।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती हैं।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द